समाहरणालय, दरभंगा।

(जिला भू–अर्जन शाखा)

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11(1) के अधीन)

सख्या–................./भू–अ0, दिनांक ....

चूँकि समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–सोनपुर चादर नं0–2, थाना–बिरौल, थाना नं0–299, अंचल–बिरौल, जिला–दरभंगा में कुल–5.27 एकड़ यानि 2.134 हे0** भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा, **परियोजना गंडौल (सहरसा) से हाटी कोठी (बिरौल) तक पथ एवं पुल निर्माण** हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0आई0ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार–संक्षेप यथा निम्न है :– **यह परियोजना लोक प्रयोजनार्थ है। इसके निमित्त भू–अर्जन करने का सामाजिक मूल्य कम है तथा सामाजिक लाभ ज्यादा है।** भू–अर्जन के कारण कुल ....X.......... परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम सोनपुर चादर नं0–2, थाना–बिरौल, थाना नं0–299, अंचल–बिरौल, जिला–दरभंगा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 5.27 एकड़ यानि 2.134 हेक्टेयर** मानक माप का भू–खंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	668	1939	रैयती	भीठ II	0.02	अनिल कु0 सिंह वो पिता रामेश्वर सिंह, शत्रुधन सिंह वो पिता महेश्वर सिंह	प्रयाग चौधरी	अशर्फी लाल		
2	379	1902	रैयती	धनहर 2	0.17	विनोद मिश्र वो प्रमोद मिश्र पिता भोला मिश्र सा0 सोनपुर	सत्य ना0 लाल	महेश्वर सिंह		
3	732	1903	रैयती	धनहर 2	0.31	शिवरेन्द्र सिंह एवं सत्य ना0 सिंह, त्रिवेणी प्र0 सिंह पिता खुबलाल सिंह सा0 सोनपुर	बहादुर चौधरी	सरोवर सिंह		
4	373	1904	रैयती	धनहर 2	0.63	श्याम कान्त चौधरी वो काली कान्त चौधरी पिता ठकन चौधरी वो मणिकान्त चौधरी पे0 स्व0 बहादुर चौधरी	अशर्फी लाल	सत्य ना0 सिंह		
5	28	1905	रैयती	धनहर 2	0.88	बुलन मंडल पे0 स्व0 रामशरण मंडल वो इन्द्र ना0 लाल दास पे0 राम ना0 दास वो गोप रमण दास पिता राम ना0 दास	बाबू दत्त झा	बहादुर चौधरी		
6	611	1899	रैयती	धनहर 2	0.10	सुरमा देवी पिता स्व0 राम जी साह	बहादुर चौधरी	गंगा साह		
7	337	1906	रैयती	धनहर 2	0.20	अनिल चौधरी पे0 स्व0 बुचन चौधरी वो0 ललीत चौधरी पे0 बैधनाथ चौधरी सा0 खानपुर	बहादुर चौधरी	अशर्फी लाल		
8	385	1909	रैयती	धनहर 2	0.05	अनिरूध झा पे0 स्व0 बाबू दत्त झा	महेमश्वर लाल	अशर्फी लाल		
9	373	1907	रैयती	धनहर 2	0.04	गौड़ी शंकर चौधरी पे0 स्व0 महेन्द्र चौधरी सा0 खानपुर	प्रयाग चौधरी	प्रयाग चौधरी		
10	336	1951	रैयती	धनहर 2	0.16	(1) सतीस चौधरी पे0 उदय चन्द्र चौधरी (2) अनील चौधरी पिता स्व0 बुचन चौधरी (3) आनन्द चौधरी पिता स्व0 पलटु चौधरी	राम ना0 झा	क्षिगूर पंडित		
11	218	1952	रैयती	भीठ II	0.12	त्रिवेणी पंडित वो श्याम पंडित पिता स्व0 क्षिंगूर पंडित	बाबूदत्त झा	रामचन्द्र लाल		

12	385	1950	रैयती	भीठ II	0.14	अनिरूध झा वगैरह पिता स्व0 बाबू दत्त झा सा0 खानपुर	प्रयाग चौधरी	रामचन्द्र मंडल		
13	286	1957	रैयती	भीठ II	0.03	फूलो पंडित पिता नन्दलाल पंडित सा0 खानपुर	पलटु चौधरी	शिवशंकर सिंह		
14	620	1955	रैयती	भीठ II	0.02	इन्द्र ना0 लाल दास वो गोपी रमण लाल दास पिता स्व0 राम ना0 लाल दास	राम चन्द्र लाल	पलटु चौधरी		
15	620	1946	रैयती	भीठ II	0.21	विनोद मिश्र वो प्रमोद मिश्र पिता स्व0 भोला मिश्र सा0 खानपुर	राम चन्द्र लाल	बाबूदत्त		
16	385	1945	रैयती	भीठ II	0.19	जय राम झा पे0 स्व0 त्रिपित झा	बुचाई चौधरी	बाबूदत्त झा		
17	603	1954	रैयती	भीठ II	0.18	मो0 जाया देवी पति स्व0 रामचन्द्रलाल दास सा0 देवन गंज प्र0 राघोपुर जि0 सुपौल	क्षिंगूर पंडित	राम न0 लाल		
18	346	3132	रैयती	भीठ II	0.43	बृजकिशोर सिंह वो नवल सिंह पे0 स्व0 राजेन्द्र सिंह सा0 खानपुर	कामेश्वर सिंह	पलटन चौधरी		
19	525	1937	रैयती	भीठ II	0.21	परमेश्वर साह वो सान चन्द्र साह वो मिलन साह वो श्रवण साह पे0 स्व0 गंगा साह सा0 सोनपुर	राम जी साह	लक्ष्मी सिंह		
20	510	1938	रैयती	भीठ II	0.06	(1)शत्रुधन प्र0 सिंह पे0 रामेश्वर सिंह (2) अरूण कु0 सिंह पे0 जागेश्वर सिंह (3) बृजबिहारी पे0 शिवशंकर सिंह (4) अर्जून प्र0 सिंह पे0 लक्ष्मण सिंह	गंगा साह	नदी		
21	819	1935	अनावाद सर्व साधारण	नदी	0.02	अनावाद सर्व साधारण				
22	819	1883	अनावाद सर्व साधारण	नदी	0.47	अनावाद सर्व साधारण				
23	611	1936	रैयती	भीठ II	0.16	प्रमेश्वर साह वो पे0 स्व0 ललन साह सा0 सोनपुर	महेश्वर सिंह	गंगा सिंह		
24	608	1953	रैयती	भीठ II	0.47	आनन्द मंडल पे0 स्व0 रामचरण मंडल सा0 राजवा	बाबूदत्त झा	पलटु चौधरी		
				कुल–	5.27					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। समाहर्त्ता –सह– समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा–12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा–11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा–15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

समाहर्त्ता, दरभंगा
–सह–
समुचित सरकार

ज्ञापांक 07 /भू–अ0, दिनांक 19/11/16

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– अंचला अधिकारी, बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा के तहसील कार्यालयों एवं ग्रामों में प्रकाशन कराकर कृत कार्रवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

प्रतिलिपि :– सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिला समाहर्त्ता, दरभंगा के बेवसाईट पर अपलोड कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।

प्रतिलिपि :– सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय परियोजना अभियंता, बि0रा0पु0नि0नि0लि0, कैम्प बलुआहाघाट, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भू–अर्जन के बेवसाईट पर अपलोड कराने एवं स्थानीय भाषा में दो दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

19/11/16

समाहर्त्ता, दरभंगा
–सह–
समुचित सरकार